भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 90

जिसका उत्तर 02.02.2023 को दिया जाना है

राष्ट्रीय/राज्य/एक्सप्रेस राजमार्गों द्वारा हुई क्षति

90. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारी वर्षा और अन्य कारणों से हुई क्षति के कारण विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य/एक्सप्रेस राजमार्गों को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अन्य एजेंसियों ने सड़कों की वहन क्षमता में वृद्धि और वाहनों के सुचारू आवागमन को देखते हुए जल निकासी प्रणाली के साथ-साथ सड़कों का भी निरीक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितना व्यय किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की स्थिति का समय-समय पर मंत्रालय और इसकी विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी)/सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी)/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के निगम द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और एनएच को यातायात-योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए एनएच के विकास और रखरखाव के लिए कार्य पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात घनत्व और निधियों की उपलब्धता के अनुसार किए जाते हैं। ऐसे कार्यों में विभिन्न कारणों से होने वाली कमियों और क्षतियों का सुधार, एनएच का पुनर्वास और सुदृढ़ीकरण, उच्च लेन विन्यास के लिए क्षमता वृद्धि, पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था प्रदान करना आदि शामिल हैं।

पर्याप्त जल निकासी प्रणाली का प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास का एक अभिन्न अंग है। बारिश के पानी को जल्द से जल्द निकालने के लिए सड़कों की घिसी-पिटी सतह पर उपयुक्त केम्बर/क्रॉस फॉल उपलब्ध करवाया जाता है। नाले का पानी अनुदैर्ध्य नाले में एकत्र किया जाता है और अंततः क्रॉस नालियों या धाराओं में चला जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन और निर्माण के दौरान इन पहलुओं का ध्यान रखा जाता है और सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) को भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार साइट की आवश्यकता के आधार पर अनुदैर्ध्य पंक्तिबद्ध/बिना रेखा वाली नालियों और क्रॉस नालियों के साथ उपलब्ध करवाया जाता है।

मानक विनिर्देशों और आईआरसी कोड के अनुसार ठेकेदारों/रियायतकर्ताओं द्वारा परियोजना के लिए अनुबंध के दायरे के अनुसार सड़क के किनारे लाइन वाली/बिना लाइन वाली नालियों, क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं का निर्माण, पुलिया, प्राकृतिक धाराओं/ड्रेनेज आदि पर छोटे और प्रमुख पुलों का निर्माण किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए नियोजित अनुमान का कोई निश्चित प्रतिशत स्पष्ट रूप से आवंटित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह साइट की आवश्यकताओं के आधार पर परियोजना से परियोजना में भिन्न होता है।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित और किए गए व्यय/ जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण क्रमशः अनुबंध-Iक और अनुबंध-IIक में रखा गया है। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए अन्य योजनाओं/एजेंसियों के तहत आवंटित और किए गए व्यय/जारी की गई निधियों का वर्ष-वार विवरण क्रमशः अनुबंध-Iख और अनुबंध-IIख में रखा गया है।

अनुबंध- Iक

राष्ट्रीय/राज्य/एक्सप्रेस राजमार्गों द्वारा हुई क्षति के संबंध में श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा दिनांक 02.02.2023 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 90 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आवंटित और किए गए व्यय/ जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:-

धनराशि करोड़ रु. में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (31.12.2022 तक)	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	1,781	1,781	2,260	2,054	1,809	2,011	1,846	1,922	2,116	2,101	1,827	1,400
2	अरुणाचल प्रदेश	62	62	90	89	81	81	142	150	310	380	400	281
3	असम	308	308	414	421	430	428	420	420	350	357	390	244
4	बिहार	1,690	1,524	1,598	1,554	1,899	1,553	2,082	2,170	2,542	2,476	1,147	1,144
5	छत्तीसगढ़	1,108	1,072	1,831	1,342	709	697	683	791	648	630	627	592
6	गोवा	527	527	940	973	1,004	976	1,062	726	643	608	811	475
7	गुजरात	166	163	392	390	545	719	730	828	800	810	600	423
8	हरियाणा	105	105	330	375	105	108	160	143	110	96	80	57
9	हिमाचल प्रदेश	307	306	351	328	160	99	176	182	722	748	611	601
10	झारखंड	261	261	320	320	163	182	330	301	350	355	200	200
11	कर्नाटक	1,241	1,203	1,630	1,561	1,361	1,293	1,210	1,224	1,079	1,085	1,022	719
12	केरल	172	172	280	301	294	327	470	525	331	305	200	98
13	मध्य प्रदेश	855	855	1,665	1,887	2,279	2,535	1,750	1,958	1,306	1,255	652	450
14	महाराष्ट्र	2,966	2,964	7,051	7,445	10,341	10,998	9,849	9,226	6,099	6,145	3,725	3,163
15	मणिपुर	76	75	260	260	397	392	147	145	130	124	105	75
16	मेघालय	30	28	71	58	35	20	17	19	60	69	60	42
17	मिजोरम	41	41	80	80	85	85	91	89	125	125	50	29

धनराशि करोड़ रु. में													
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (31.12.2022 तक)	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
18	नगालैंड	38	38	200	200	445	414	355	308	364	346	225	160
19	ओडिशा	708	717	790	774	451	462	601	676	755	768	798	595
20	पंजाब	746	746	786	808	883	1,020	820	675	528	501	340	275
21	राजस्थान	888	886	1,296	1,290	1,124	1,062	842	911	836	846	1,140	902
22	सिक्किम	5	5	1	0	0	0	5	4	45	40	38	30
23	तमिलनाडु	664	664	870	884	530	423	716	618	1,200	1,151	750	689
24	तेलंगाना	410	410	1,220	1,213	1,515	1,494	1,000	1,015	970	886	775	516
25	त्रिपुरा	61	61	50	50	65	62	105	100	125	129	100	58
26	उत्तर प्रदेश	1,111	1,107	2,040	1,996	1,838	1,765	1,715	1,798	1,265	1,329	1,814	1,120
27	उत्तराखंड	981	980	1,000	1,011	964	1,044	960	1,039	665	654	345	337
28	पश्चिम बंगाल	1,230	1,185	991	980	806	792	713	751	593	532	809	560
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
30	चंडीगढ़	5	5	2	1	5	0	1	0	1	0	1	0
31	दादर और नगर हवेली	0	0	2	0	12	0	25	43	32	30	40	23
32	दमन और दीव	0	0	0	0	8	0						
33	दिल्ली	36	23	3	0	83	62	92	50	98	58	48	42
34	जम्मू-कश्मीर	35	35	45	44	50	26	70	52	90	68	390	71
35	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	20	17	11	0	3	0
36	पुदुच्चेरी	14	14	30	13	2	1	21	19	3	1	25	25
37	एनएच(ओ)/पहले आओ पहले पाओ के तहत अन्य परियोजनाएं	214	212	0	0	1,513	**	-303	**	-206	**	399	399

आबंटन -आवंटन ;व्यय . -व्यय

शुद्ध रूप से "पहले आओ पहले पाओ "के आधार पर व्यय करने के लिए अधिकृत किया गया था ,बशर्ते कि कुल व्यय उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कुल आवंटन से अधिक न हो ,यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि का कम से कम समर्पण हो। इसलिए ,कुछ राज्यों के लिए व्यय उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए आवंटन से अधिक रहा है ।

***-नकारात्मक आवंटन परिलक्षित होता है क्योंकि एनएचडीपी-IV (राज्य पीडब्ल्यूडी) से एनएचएआई को धन का पुनर्विनियोजन किया गया था। हालांकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन कम नहीं किया गया था।**

****- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार व्यय शामिल**

^- विलय से पहले संघ राज्य क्षेत्र

उपरोक्त विवरण में पीआर/आईआरक्यूपी का आवंटन शामिल नहीं है। पीआर/आईआरक्यूपी को 2021-22 से एनएच(मूल) से वित्त पोषित किया गया है।

अनुबंध-IIख

राष्ट्रीय/राज्य/एक्सप्रेस राजमार्गों द्वारा हुई क्षति के संबंध में श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा दिनांक 02.02.2023 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 90 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अन्य योजनाओं/एजेंसियों के तहत आवंटित और किए गए व्यय/जारी धन का वर्ष-वार विवरण:-

करोड़ रु. में

क्र.सं.	**योजनाएं/एजेंसी**	**2017-18**		**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23 (31.12.2022 तक)**	
		आबंटन	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**
1	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) - उपकर $	12,429	12,429	11,569	11,569	11,091	11,091	23,850	23,850	36,210	36,210	96,591	96,591
2	एनएचएआई - टोल $	8,462	8,462	9,570	9,570	10,600	10,600	11,500	11,500	12,670	12,670	13,915	13,915
3	एनएचएआई-एनएच(ओ) $	3,900	3,900	0	0	1,000	1,000	2,833	2,833	16,143	16,143	11,458	11,458
4	एनएचएआई-टीओटी $	-	-	9,682	9,682	10,000	5,000	10,250	7,262	13,000	5,000	20,000	0

													करोड़ रु. में
क्र.सं.	**योजनाएं/एजेंसी**	**2017-18**		**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23 (31.12.2022 तक)**	
		आबंटन	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**
5	राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) एनएच (मूल)$ के तहत	296	296	1,000	1,000	2,165	2,165	6,568	6,568	7,079	7,079	7,000	7,000
6	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) $	0	0	135	135	356	354	502	500	352	338	500	287
7	अरुणाचल पैकेज $ सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एसएआरडीपी-एनई) के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम	4,865	4,838	5,610	5,345	3,680	3,592	4,540	4,513	4,825	4,782	4,840	3,162

													करोड़ रु. में
क्र.सं.	**योजनाएं/एजेंसी**	**2017-18**		**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23 (31.12.2022 तक)**	
		आबंटन	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**
8	विजयवाड़ा-रांची रोड के विकास सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई) में सड़कों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1,050	902	905	552	475	409	425	378	332	329	270	231
9	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं - मुख्यालय , एनएचएआई , एनएचआईडीसीएल $	316	283	222	219	1,242	1,242	1,905	1,905	3,151	3,151	2,028	2,028
10	भारतमाला बीआरओ , एनएचआईडी	0	0	0	0					923	923	2	1

करोड़ रु. में													
क्र.सं.	**योजनाएं/एजेंसी**	**2017-18**		**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23 (31.12.2022 तक)**	
		आबंटन	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**
	सीएल $												
11	एनएचएलएमएल	0	0	0	0					100	100	1,009	1,009
12	आईईबीआर / एनएचएआई द्वारा उधार	59,279	50,533	62,000	61,217	75,000	74,988	65,000	65,036	65,000	65,150	1,000	798
13	परियोजना आधारित वित्त पोषण							9,731	9,731	14,006	14,006	15,000	3,900
14	इनविट									7,350	7,350	10,000	2,850

आबंटन । -आवंटन ;व्यय । -व्यय

$- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन नहीं किया गया

अनुबंध-IIक

राष्ट्रीय/राज्य/एक्सप्रेस राजमार्गों द्वारा हुई क्षति के संबंध में श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा दिनांक 02.02.2023 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 90 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) के लिए आवंटित और किए गए व्यय/जारी धन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:-

करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (31.12.2022) तक	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	83.52	77.02	87.98	20.61	89.60	65.37	147.44	113.91	150.92	85.89	164.50	117.22
2	अरुणाचल प्रदेश	42.67	36.31	34.10	15.97	28.72	25.27	78.76	111.39	68.84	76.08	73.64	25.70
3	असम	122.63	89.28	48.33	11.33	28.49	3.28	130.68	73.19	110.70	38.60	58.28	11.91
4	बिहार	121.68	97.29	38.86	20.91	50.31	15.24	115.92	64.86	108.32	72.00	57.02	0.53
5	छतीसगढ	28.17	21.95	28.59	10.79	25.02	16.79	44.13	16.72	32.77	15.16	32.46	1.43
6	गोवा	21.60	14.75	8.10	4.87	6.59	1.13	18.95	8.02	16.19	6.58	12.51	4.42
7	गुजरात	65.19	68.43	80.30	64.49	100.23	91.43	186.28	114.78	168.58	48.92	196.60	128.39
8	हरियाणा	40.38	39.53	0.80	0.26	0.50	0.02	3.00	0.00	3.50	0.00	9.08	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	79.02	56.46	55.45	43.01	37.90	28.34	83.40	73.98	88.59	55.05	50.65	26.32
10	झारखंड	65.48	54.69	44.31	32.25	26.83	26.07	39.71	23.13	49.00	21.92	33.70	20.11
1 1	कर्नाटक	126.78	88.91	66.21	46.52	60.88	30.87	148.30	132.44	151.44	94.06	60.85	19.12
12	केरल	113.99	99.15	81.95	29.93	77.19	64.27	127.06	178.97	121.62	47.74	33.35	1.75
13	मध्य प्रदेश	75.37	48.75	40.59	11.23	25.11	14.80	102.05	28.11	63.84	10.79	29.84	1.98
14	महाराष्ट्र	225.75	200.99	387.90	352.83	125.25	42.48	281.53	157.14	270.81	44.81	122.67	13.61

													करोड़ रु. में
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (31.12.2022) तक	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
15	मणिपुर	23.06	12.01	34.94	21.67	7.10	2.38	26.11	22.89	19.38	14.23	9.10	0.00
16	मेघालय	107.60	122.37	121.29	67.35	70.36	39.15	61.66	45.64	64.07	52.86	36.44	10.34
17	मिजोरम	125.93	125.25	158.98	126.86	48.97	37.23	34.91	21.00	44.96	33.90	21.88	4.65
18	नगालैंड	55.32	55.64	63.33	50.65	42.42	32.73	62.14	46.24	70.09	28.47	42.27	10.70
19	ओडिशा	34.81	27.74	43.24	25.90	55.31	49.95	63.16	104.68	99.73	63.31	38.29	15.13
20	पंजाब	38.00	30.45	33.20	10.62	10.74	5.43	34.72	27.81	27.85	16.05	54.31	17.98
21	राजस्थान	69.78	63.30	52.73	18.23	51.90	40.02	125.86	78.02	111.51	16.14	44.64	30.11
22	सिक्किम	4.13	4.13	16.00	17.30	11.94	10.36	5.88	6.85	8.87	7.91	7.11	1.93
23	तमिलनाडु	74.39	72.99	52.77	42.68	36.85	16.21	92.68	92.18	75.95	25.25	64.12	43.75
24	तेलंगाना	54.36	52.15	37.34	22.73	82.60	59.55	128.43	72.54	103.30	36.79	167.41	70.75
25	त्रिपुरा	40.65	43.19	47.94	47.35	25.71	14.54	16.68	12.13	9.03	0.00	5.10	0.00
26	उत्तर प्रदेश	88.53	56.51	73.07	40.12	116.22	73.54	139.57	90.81	133.63	71.34	104.81	27.66
27	उत्तराखंड	31.98	18.92	38.06	15.04	27.97	14.42	46.21	32.79	40.41	12.69	32.85	14.63
28	पश्चिम बंगाल	60.78	59.74	32.27	28.54	41.66	38.03	51.50	34.89	46.11	33.11	81.06	20.63
29	चंडीगढ़	1.26	0.00	0.10	0.00	0.20	0.00	3.11	2.03	9.30	5.69	5.12	0.88
30	दादरा और नगर हवेली ^	0.11	0.00	0.10	0.00	0.20	0.00	0.86	0.00	0.68	0.00	0.25	0.00
31	दमन और दीव ^	0.07	0.00	0.10	0.00	0.20	0.00						
32	दिल्ली	0.98	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.25	0.00	0.20	0.00	0.23	0.00
33	जम्मू	12.95	2.96	33.48	9.14	2.02	0.34	9.37	0.00	4.11	0.00	5.92	0.00

													करोड़ रु. में
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2017-18**		**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23 (31.12.2022) तक**	
		आबंटन	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**
	कश्मीर $												
34	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	3.39	3.64	0.00	1.25	0.00
35	पुदुचेरी	1.14	0.36	1.08	0.99	1.97	0.09	2.35	1.98	1.37	0.30	0.20	0.10
36	पुल प्रबंधन	2.69	2.68										
37	पहले आयें पहले पायें					-59.46	**	-632.04	**	-1,182.15	**		

आबंटन । - आवंटन; व्यय । - व्यय

शुद्ध रूप से "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर व्यय करने के लिए अधिकृत किया गया था, बशर्ते कि कुल व्यय उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कुल आवंटन से अधिक न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन का कम से कम समर्पण हो। इसलिए, कुछ राज्यों के लिए व्यय उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए आवंटन से अधिक रहा है।

$ - जम्मू और कश्मीर राज्य और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के पुनर्गठन से पहले पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य

^- विलय से पहले संघ शासित प्रदेश

***- ऋणात्मक आबंटन परिलक्षित होता है क्योंकि कम व्यय किए जाने के कारण राज्य पीडब्ल्यूडी से एनएचएआई/एनएचआईडीसीएल को निधियों का पुनर्विनियोजन किया गया था। हालांकि स्वीकृति उद्देश्यों के कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन कम नहीं किया गया था।**

****- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार व्यय शामिल**

उपरोक्त विवरण में आवंटन और व्यय में पीआर/आईआरक्यूपी शामिल है जो 2021-22 से एनएच (ओ) से वित्त पोषित है। इसलिए, कुल आवंटन एम एंड आर के कुल परिव्यय से अधिक है।

अनुबंध-IIख

राष्ट्रीय/राज्य/एक्सप्रेस राजमार्गों द्वारा हुई क्षति के संबंध में श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा दिनांक 02.02.2023 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 90 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएच के एम एंड आर के लिए अन्य एजेंसियों को आवंटित और किए गए व्यय / जारी की गई निधियों का वर्ष-वार विवरण**:-**

रु. करोड़ में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (31.12.2022) तक	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	एनएचएआई	575.00	575.00	272.19	272.19	400.00	400.00	400.00	400.00	1,909.36	1,909.36	1,300.00	1,300.00
2	एनएचआई डीसीएल	125.00	125.00	100.00	100.00	200.00	200.00	248.17	248.17	325.00	325.00	0.00	0.00
3	बीआरओ	135.00	134.78	115.00	114.81	142.00	134.23	220.00	219.78	170.00	152.06	180.00	137.11

आबंटन । - आवंटन; व्यय । - व्यय